

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/ 7164-7173

दिनांक:- 4-12-2014

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 95/14-15 दिनांक 26.10.2014 द्वारा निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- प्रथम का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर किया गया था, किन्तु विभागीय आदेश की पालना में इन कार्मिकों द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है:-

क्र. सं.	लिंक नंबर	नाम (सर्वश्री)	वर्तमान कार्यालय का नाम	नवीन पदस्थापन
1	6601	भवानी सिंह राजपूत, सलेअ ग्रेड-1 (अस्थाई कमोन्नत पद पर)	संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग, जयपुर	उपशासन सचिव, चिकित्सा, सचिवालय जयपुर
2	4706	प्रमोद कुमार व्यास, सलेअ ग्रेड-1	आयुक्त, बाणिज्य कर विभाग, जयपुर (आ. जा.दल)	उपशासन सचिव वित्त (नियम) विभाग, जयपुर

अतः उपरोक्तानुसार वर्णित सलेअ ग्रेड-1 को संदर्भित आदेश दिनांक 26.10.2014 की निरन्तरता में तत्काल प्रभाव से वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किए तुरन्त अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना दिनांक 09.12.2014 तक फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल aaol.dta@rajasthan.gov.in द्वारा विभाग को भिजवावें। नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले सलेअ ग्रेड-1 के विरुद्ध विभागीय आदेशों की अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक:- 4-12-2014

क्रमांक:- एफ.2 (ग) (1) अलेसे-I/ 7164-7173

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि वे सम्बन्धित कार्मिक को अविलम्ब नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण हेतु निर्देशित कर विभाग को सूचित करावें।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब डाक/फैंक्स अथवा विभागीय ई-मेल aaol.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवावें।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गोपनीय अनुभाग/गार्ड फाईल।

(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)